न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 472/2025

श्री अशोक कुमार गोयल, 4th Year B.A. L.L.B. (Hons.) Student मारवाडी विश्वविघालय, राजकोट (गुजरात), मो0न0 9024601521

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 27.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 472/2025 पर दिनांक 10.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4931—832 दिनांक 24.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/1450 दिनांक 24.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपलार्थी श्री अशोक कुमार गोयल, वार्ड नं0 13, भैरू कालोनी, गुढागौडजी का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/255 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, वृत्त झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त संबंध मे अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, वृत्त झुंझुनूं ने अपने पत्र कामंक 1056 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नवलगढ को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया। उक्त संबंध मे अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नवलगढ ने अपने पत्र कमांक 1339 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत गुढागौडजी को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया जिसके संबंध मे ग्राम पंचायत गुढागौडजी ने अपीलार्थी को सूचित कर चाही गई सूचना कार्यालय समय मे उपस्थित होकर पत्रावलियों का अवलोकर करके निर्ध्धरित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/1450 दिनांक 24.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपलार्थी श्री अशोक कुमार गोयल, वार्ड नं0 13, भैरू कालोनी, गुढागौडजी का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/255 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, वृत्त झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त संबंध मे अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, वृत्त झुंझुनूं ने अपने पत्र कामंक 1056 दिनांक 01.08.2025 के

जिला कलक्टर झुंझुनूं

द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नवलगढ को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया। उक्त संबंध मे अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नवलगढ ने अपने पत्र कमांक 1339 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत गुढागौडजी को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया जिसके संबंध मे ग्राम पंचायत गुढागौडजी ने अपीलार्थी को सूचित कर चाही गई सूचना कार्यालय समय मे उपस्थित होकर पत्रावलियों का अवलोकर करके निर्ध्धरित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा है। चूंकि प्रार्थी का आवेदन पत्र अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित को नियमानुसार अन्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं